

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 81/ प्र0अ0-भवन/जोन-1/2011-12 दिनांक 16/11/2012

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर कार्यालय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के भित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

डा0 सविता अग्रवाल एवं डा0 बी0बी0 अग्रवाल द्वारा भवन संख्या-5/9/11 स्टैनली रोड, नजूल भूखण्ड संख्या-41/2 सिविल स्टेशन, (पार्ट) इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल कार्यालय भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
- स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- स्थल पर एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
- स्थल पर 01 वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदिका का होगा।
- स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य स्वतः पूर्ण करना होगा।
- स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना अर्थात् कार्यालय भवन के रूप में ही किया जाय, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- नगर आयुक्त, नगर निगम की अनापत्ति पत्र संख्या-809/STCE/12 दिनांक 21.08.2012 में अंकित प्रतिबन्धों जो मुख्यतः निम्नवत् हैं का अक्षरशः पालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
 - भवन निर्माण कराते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि नगर निगम की किसी भी अवस्थापना सुविधा की क्षति न होने पाये, अन्यथा भवन स्वामी को उसका मरम्मत/नवनिर्माण कराना होगा।
 - भवन के अन्दर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, ताकि अवस्थापना सुविधा क्षतिग्रस्त न हो।
- यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
- यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
- मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
- आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
- यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

(सीमा सिंह)
अपर सचिव

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

